न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 08 सन 2020

अनवान :–

1. धन्नाराम पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. कविता पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर।

प्रार्थी गण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 08/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 293/299 की कुल 14.2060हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 296/7103 व प्राथ्री संख्या 2 का 5919/142060 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कालुराम एवं धापी दर्ज हो गया जबकि वादीगण का सही नाम धन्नाराम एवं कविता है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड सभी में वादी का नाम धन्नाराम एवं कविता दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 293/299 की कुल 14.2060हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 296/7103 व प्राथ्री संख्या 2 का 5919/142060 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कालुराम, धापी के स्थान पर धन्नाराम एवं कविता संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 293/299 की कुल 14.2060हैक्ट भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 296/7103 व प्राथ्री संख्या 2 का 5919/142060 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कालुराम एवं धापी दर्ज हो गया जबकि वादीगण का सही नाम धन्नाराम एवं कविता है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड सभी में वादी का नाम धन्नाराम एवं कविता दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 293/299 की कुल 14.2060हैक्‍ भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 296/7103 व प्राथ्री संख्या 2 का 5919/142060 हिस्सा भूमि सायलान खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थीगण का नाम कालुराम एवं कविता दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम धन्नाराम एवं कविता है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम धन्नाराम एवं कविता दर्ज है तथा संरपंच ग्राम पंचायत के अनुसार प्रार्थीगण का नाम धन्नाराम एवं कविता है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 293/299 की कुल 14. 2060हैक्‍ भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 296/7103 व प्राथ्री संख्या 2 का 5919/142060 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम धापी दर्ज है के स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम धन्नाराम उर्फ कालुराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम कविता उर्फ धापी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/4/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 08 / 2021 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. जगदीश पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कविता पुत्री सोहनलाल जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 08 / 2021 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में दिनांक 08/04/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 293 / 299 की कुल 14.2060है0 भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 296 / 7103 व प्राथ्री संख्या 2 का 5919 / 142060 हिस्सा में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालुराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम धापी दर्ज है के स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम धन्नाराम उर्फ कालुराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम कविता उर्फ धापी संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर